



मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एच.ओ./सा0-256/2014 5631-1274 देहरादून, दिनांक: 31.01.2014

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-18(1)(b) के अन्तर्गत अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत निर्देश दिनांक 04.06.2012 एवं अध्यक्ष राज्य बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित Categorization of Industries-Red, Orange and Green को उत्तराखण्ड राज्य (दून वैली क्षेत्र के अतिरिक्त) में लागू किया जाता है। बोर्ड के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उद्योगों के स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्रकरणों पर संलग्न Categorization के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश दिनांक 01.02.2014 से प्रभावी होगा।

संलग्नक :- यथोपरि।

OFFICE COPY

WJH
विनोद सिंह
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री हरीश आडवाणी, एन.आई.सी. गुजरात को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया संलग्न Categorization of Industries-Red, Orange and Green को XGN-Ganga में Upload करवाने का कष्ट करें।
3. पर्यावरण अधिकारी/वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त कार्मिकों के संज्ञानार्थ नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6. सहायक प्रोग्रामर, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ उक्त Categorization of Board की Website पर अविलम्ब Upload करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

OFFICE COPY

WJH
सदस्य सचिव
31/1/14

रिश्त
31.01.2014
SJB